न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 08/2018
दायर दिनांक – 19/01/2018
निर्णय दिनांक – 18/06/2018

अनवान

1. ख्यालीलाल पिता भुरालाल महाजन बनेडिया तहसील रेलमगरा
2. नरेन्द्रपाल पिता भुरालाल महाजन बनेडिया तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा
2. किशनलाल पिता भुरालाल महाजन बनेडिया तहसील रेलमगरा

प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती व राजस्व अभिलेख मे सही अंकन बाबत्?

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व राजस्व अभिलेख में सही अंकन के प्रस्तुत किया कि ग्राम तुर्किया खेडा मे वादीगण के सहखातेदारी के रूप में आराजी संख्या 273 रकबा 03–15 बीघा भूमि स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् वादीगण के पिता स्व. भुरालाल पिता नाथुलाल महाजन के नाम पर सहखातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। वादीगण के पिता स्व. भुरालाल जी की मृत्यु आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा वादीगण के पिता भुरालाल जी की मृत्यु पश्चात तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा वादपत्र की पैरा संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात का विरासती नामान्तरणकरण निर्णीत कराया गया था व तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा भुरालाल के वारिसान का सही जांच नहीं कर निर्णित करवा दिया गया था क्योंकि स्वत्र भुरालाल जी के तीन पुत्र वादी संख्या 01 वादी सख्या 02 व तीसरा किशनलाल थे। तत्कालीन पटवारी हल्का ने जो भुरालाल की मृत्यु पश्चात नामान्तरणकरण संख्या 108 मे भुरालाल के वारिसान् के नाम लिखे उसमें किशनलाल खुबीलाल व गेहरीलाल पिता भुरालाल के नाम लिखकर नामान्तरणकरण निर्णित करवा दिया गया, जो कि मनमकसुद तरीके से बिना

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादीगण को पूछे बिना वादीगण की सहमति से मनमकसुद तरीके से करवा दिया गया गया तथा उक्त नामान्तरणकरण के निर्णित होने के पश्चात सम्वत् 2047 से सम्वत् 2050 की जमांबदी में जो अमल किया गया उसमें भुरालाल के वारिसान् किशनलाल, खुबीलाल, गेहरीलाल पिता भुरालाल लिख दिया गया। नामान्तरणकरण व जमाबंदी दोनो मे ही पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच किये मनमकसुद तरीके से लिख दिया गया। स्व. भुरालाल जी के न तो खुबीलाल नामक कोई लडका था न ही गेहरीलाल नामक कोई लडका था। भुरालाल जी के वास्तविक वारिसान् वादी संख्या 01 वादी संख्या 02 व किशनलाल ही थे। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मनमकसुद तरीके से भुरालाल के वारिसान का नाम अंकित कर नामान्तरणकरण निर्णित करवा दिया व जमाबंदी मे भी नाम लिखकर उसका अमल दरामद कर दिया। जबकि स्व. भुरालाल जी के किशनलाल, वादी संख्या 01 ख्यालीलाल, व वादी संख्या 02 नरेन्द्रपाल ही वारिसान् है व इन्ही के नाम पर नामान्तरणकरण निर्णित होना चाहिए था और इन्ही के नाम पर जमाबंदी मे अमल दरामद होना चाहिए था, मनमकसुद तरीके से भुरालाल के वारिसान् खुबीलाल व गेहरीलाल नाम लिखकर जमाबंदी मे अमल दरामद कर दिया जिसकी दुरूस्ती हेतू वादीगण द्वारा उक्त वाद न्यायालय आप मे अपने नाम की घोषणा कराने हेतू व जमाबंदी मे सही अंकन हेतू वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। वादीगण के जो दस्तावेज बने हुए है उसमे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में वादी संख्या 01 का ख्यालीलाल पिता भुरालाल व वादी संख्या 02 नरेन्द्र पाल पिता भुरालाल के नाम से ही बने हुऐ है। स्व. भुरालाल जी को खुबीलाल व गेहरीलाल नाम के कोई पुत्र संतान न तो थे न ही है और न कभी ही है। इनके अलावा कोई पुत्र संतान स्व. भुरालाल के नही है। जिस हेतू वादीगण को अपने नाम की घोषणा कराने एंव राजस्व रेकार्ड में सही अंकन कराने हेतू न्यायालय आप मे वाद प्रस्तुत करना पड रहा है। वादीगण को उक्त गलत नाम के अंकन की कोई जानकारी पूर्व मे नही थीं क्योंकि वादीगण अपने व्यवसाय के कारण बम्बई में रह रहे है। वर्ष 2017 मे पता चला तब न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 में उक्त अंकन को दुरूस्त कराने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो बताया गया कि यहां नाम नही सुधारा जायेगा। तहसील मे आना फिर तुम्हार मामला देखेगे। इसके वाद वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के यहां

बार बार जाता रहा परन्तु अभी तक वादी का नाम सुधारा नही गया व आज से 01 माह पूर्व अन्तिम बार वादीगण प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख मे खुबीलाल के जगह वादी संख्या 02 नरेन्द्रपाल का अंकन कराने हेतू कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख मे सही अंकन व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलेक्टर महोदय के यहा लगाना होगा। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि जमांबदी मे अंकित खुबीलाल की जगह वादी संख्या 01 व गहरी लाल की जगह वादी संख्या 02 का राजस्व अभिलेख मे अंकन कराने का इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतू वाद प्रस्तुत करे जिस निमित्त वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है राजस्व अभिलेख में मौजा तुर्किया खेडा की आराजी संख्या 272 की जमांबदी में वादीगण के सही नाम नाम अंकन हो रहा है। इसी क साथ अन्य दस्तावेजो में वादीगण के सही नाम का अंकन है जो ख्यालीलाल पिता भुरालाल व नरेन्द्रपाल पिता भुरालाल के नाम से है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में वादीगण का नाम गलत अंकन हो जाने से वादीगण उक्त भूमि के संबध में किसी प्रकार का रहन, विकय व उक्त भूमि से बैंक से ऋण ही प्राप्त कर सकते है व वादीगण की मृत्यु पश्चात इनके वारिसान को भारी समस्या का सामना करना पड सकता है । जिस निमित्त वादपत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतू कहा व इन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अंतिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन खुबीलाल व गहरीलाल के बजाये ख्यालीलाल पिता भुरालाल व नरेन्द्रपाल पिता भुरालाल राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतू कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया , तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतू उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। अन्यथा उनके विरूद्ध इस वाद मे कोई दाद नही चाही गई है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदया के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वादपत्र

२)[illegible]

[illegible] कलक्टर
[illegible] अधिकारी)

के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकारत्त फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात मे वादी संख्या 01 का नाम खुबीलाल पिता भुरालाल व वादी संख्या 02 का नाम गहरीलाल पिता भुरालाल की बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख मे ख्यालीलाल पिता भुरालाल व नरेन्द्रपाल पिता भुरालाल कराया जाने की डिकी फरमाया जाकर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज कराया जाकर वादीगण के नाम का सही अंकन करवाया जाने का प्रचलित डिकी फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ने स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत बनेडिया में आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर पक्षकारान उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार ने भी अपना स्वीकारात्मक जवाब सरपंच सा. बनेडिया द्वारा जारी प्रमाणपत्र , मौका परचा पटवारी हल्का बनेडिया दिनांक 16/06/2018 तथा ग्राम तुर्किया खेडा की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 132 मे दर्ज नाम तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश जवाब दावा अनुसार ग्राम तुर्किया खेडा की जमाबंदी 2071–74 के खाता संख्या 116 मे दर्ज खातेदारान का नाम किशनलाल, खुबीलाल गेहरीलाल पिता भुरालाल के बजाय नाम किशनलाल, खुबीलाल, नरेन्द्रपाल पिता भुरालाल दर्ज किया जाना उचित है। को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रकरण में वादीगण संख्या 01 व 02 का नाम सही नही होकर राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है जो वादीगण द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अतः वादी का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व राजस्व अभिलेख में सही अंकन का स्वीकार किया जाकर ग्राम तुर्किया खेडा मे वादीगण के सहखातेदारी के रूप में आराजी संख्या 273 रकबा 03–15 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का नाम खुबीलाल पिता भुरालाल के बजाय ख्यालीलाल पिता भुरालाल व वादी संख्या 02 का नाम गहरीलाल पिता भुरालाल की बजाय नरेन्द्रपाल पिता भुरालाल नाम से खातेदारी, काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुार राजस्व रेकार्ड में अंकत किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प बनेडिया पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)